मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, हाथरस द्वारा गठित कमेटी दिनांक 26.08.2022 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का विस्तृत निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 निम्वत् हैः–

- "In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB, and District Magistrate, Hathras. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
- The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
- List the matter for further consideration on 21.09.2022.
- A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Hathras by e-mail for requisite.

उक्त आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.09.2022 को किया गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश कुमार, चौकीदार उपस्थित थें। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईट उद्योग के नाम से वर्ष 2020 से श्री मोहित कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की स्थापना कार्य सितम्बर, 2020 में किया जाता हुआ पाया गया।
3. ईट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग–3.0 मी0टन/दिन किया जाता है। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. सन्दर्भित ईंट भट्ठे के पूरब दिशा में बिहारी का नगला लगभग–1.0 कि0मी0, पश्चिम दिशा में लगभग–70 मी0 की दूरी पर पुरदिलनगर, हसायन सम्पर्क मार्ग तत्पश्चात् उसी दिशा में लगभग–500 मी0 दूरी पर गैस एजेन्सी एवं उसी दिशा में लगभग–2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम–नगला बरी स्थित है। उत्तर दिशा में ग्राम–नगला उदिया लगभग–1.0 कि0मी0 तथा दक्षिण दिशा में लगभग–600 मी0 की दूरी पर माँ गंगा देवी महाविद्यालय एवं लगभग–800 मी0 की दूरी पर मूल चन्द्र महाविद्यालय एवं उसी दिशा में लगभग–1.0 मी0 की दूरी पर नगर पंचायत पुरदिलनगर स्थित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

7. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–40014421000054 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई के सन्दर्भ में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। निरीक्षणोपरान्त ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न पाये जाने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या–506 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईंट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–एच63515 /सी–4/सामान्य–II–756/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

8. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.01.2021 को आनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या–118507 एवं 118508 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था।

9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु पक्की चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–30 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

10. ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर वाद मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जो इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2021 में प्राप्त हुआ था, के सम्बन्ध में आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–1152 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया।

11. ईंट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा को दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के बन्दी आदेश एवं प्रशासन द्वारा बन्दी आदेश के अनुक्रम में की गयी बन्दी की कार्यवाही दिनांक 12.04.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया।

12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच79862 दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–वायु अपील–09(1)/81–6–2022 दिनांक 04.08.2022 में ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध दायर अपील मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 सरकार आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1248 दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से सन्दर्भित अपील की बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

13. ईंट भट्ठा द्वारा दायर अपील में बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 का उल्लेख किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, जारी 27 जून, 2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण दिनांक 22.06.2021 माध्यम से ईंट भट्ठे को भी बन्दी आदेश जारी किया गया है, उक्त दोनो आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

14. ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01.03.2022 से किया जाना अवगत कराया गया, जिसे संचालन किये जाने पर कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया। अतः दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 5,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)	06.09.2022 (सतीश कुमार)	(वेद सिंह चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)	खान अधिकारी	उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी सिकन्दराराऊ (हाथरस